

पत्र संख्या-स्था-2-पुनश्चाय प्रशिक्षण कार्यक्रम/2025-26/COMP NO518253/2740 / राज्य कर।

कार्यालय आयुक्त, राज्य कर, उ०प्र०

(स्थापना राजपत्रित अनुभाग)

लखनऊ: दिनांक :: 8/9/2025

// आदेश //

क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र, मोहन नगर, गाजियाबाद में FUNCTIONING OF MOBILE UNITS के सम्बन्ध में दिनांक 09-09-2025 से 11-09-2025 तक तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम तक प्रस्तावित है, जिसमें प्रतिभाग करने हेतु निम्न अधिकारियों को नामित किया जाता है:-

SN	EMPID	NAME	DES	OFF NAME	MOBILE
1.	124165	Sameer Kumar Srivastava	AC	AC (Mobile Squad) hathras	9450641248
2.	125898	Mohd.Imteyaz Siddiquei	AC	AC (Mobile Squad) Kasganj	9450679007
3.	127274	Priya Garg Ms	AC	AC (Mobile Squad) Etah	6392838754
4.	124687	Sugandha Singh-II Ms.	AC	AC (Mobile Squad) -4,Noida	7235002975
5.	125730	Vandana Singh-IV MS.	AC	AC (Mobile Squad) -3,Noida	9452187769
6.	125098	Vineet Kumar	AC	AC (Mobile Squad) -1,Ghaziabad	9839327994
7.	124729	Vandana Verma	AC	AC (Mobile Squad) -12,Ghaziabad	9927166898
8.	125156	Arvind Kumar-VI	AC	AC (Mobile Squad) -5,Meerut	9838313018
9.	125096	Sushil Chandra Gangwar	AC	AC (Mobile Squad) -4,Saharanpur	7235003146
10.	126993	Siddhant Singh	STO	AC (Mobile Squad) - 3,Mathura	9999341201
11.	127433	Rohit Gupta	STO	AC (Mobile Squad) -4,Noida	8383811963
12.	999971	Santosh Kumar Verma	STO	AC (Mobile Squad) Khatauli	9838237534
13.	127150	Prakhar Pratap Singh	STO	AC (Mobile Squad) - 2,Aligarh	9140258959
14.	126222	Abhishek Kumar Srivastava-II	STO	AC (Mobile Squad) - 3,Aligarh	8765944205
15.	126919	Raghvendra Vikram Singh	STO	AC (Mobile Squad) -1,Noida	7310007640
16.	127184	Anshu Raghav Ms	STO	AC (Mobile Squad) -2,Ghaziabad	9625350210
17.	124808	Rajesh Kumar Sagar	STO	AC (Mobile Squad) Bulandshahar	9837714970
18.	127257	Alka Patel Ms	STO	AC (Mobile Squad) -3,Meerut	452813530
19.	127139	Sunil Kumar Singh	STO	AC (Mobile Squad) -2,Saharanpur	9015827229
20.	126448	Raj Kumar Kalra	STO	AC (Mobile Squad) - 1,Muzaffarnagar	9811928054

प्रशिक्षण में अधिकारी की उपस्थिति प्रशिक्षण संस्थान में आने के उपरान्त दिनांक 09-09-2025 से ही मान्य होगी। उक्त नामित अधिकारी अनिवार्य रूप से क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र, मोहन नगर, गाजियाबाद के कार्यालय में प्रत्येक दशा में उक्त दिनांक 09-09-2025 की प्रातः 9.30 बजे उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में नामित अधिकारियों को किसी भी प्रकार की शिथिलता अनुमन्य नहीं होगी। नामित अधिकारी की अनुपस्थिति की दशा में पूर्ण दायित्व सम्बन्धित अधिकारी का होगा।

नामित अधिकारी प्रशिक्षणोपरान्त अपने वर्तमान तैनाती / सम्बद्धता के स्थान पर अपने नियन्त्रक अधिकारी को रिपोर्ट करेंगे। अधिकारियों के अपेक्षित कार्यवाही से सम्बन्धित कुछ दिशा निर्देश जारी किये गये हैं जो निम्नानुसार है:-

- कार्यभार ग्रहण करने की औपचारिकताएं प्रातः 9 बजे से मध्याह्न 12 बजे तक पूर्ण कर लेनी होगी। इसके उपरांत किसी भी अधिकारी को प्रशिक्षण कार्यक्रम में योगदान देने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- प्रशिक्षण अवधि में हॉस्टल में आवंटित कक्ष को अपनी इच्छा से बदलने की किसी अधिकारी को अनुमति नहीं होगी।
- अधिकारियों को अपने कमरे में अतिथियों (परिवार के सदस्यों, मित्रों, पति/पत्नी या कोई अन्य) को बुलाने एवं ठहराने की अनुमति नहीं है। अतः प्रशिक्षण संस्थान में योगदान देने के समय कृपया अपने साथ अन्य किसी व्यक्ति को न लायें।

मोहनी पूर्णमा

del (I.T.)
09-9-25

- संस्थान में अधिकारियों को अपने पहनावे पर विशेष ध्यान देना होगा। प्रशिक्षण सत्र के दौरान उन्हें हमेशा औपचारिक/शालीन पहनावे में रहना होगा।
- अधिकारियों के खान-पान की व्यवस्था संस्थान की मेस में रहेगी। मेस में भोजन का व्यय अधिकारियों को वहन करना होगा। हॉस्टल के कक्षों में खाना बनाना / मंगाना निषिद्ध है। मेस में अतिथियों को भोजन हेतु सामग्री लाना वर्जित होगा।
- प्रशिक्षण कक्षाओं के दौरान मोबाइल फोन का प्रयोग निषिद्ध है। प्रशिक्षण कक्षाओं के दौरान जिन अधिकारियों के पास मोबाइल फोन पाया जायेगा उसे जब्त कर लिया जायेगा तथा ऐसे अधिकारियों पर संस्थान द्वारा उचित जुर्माना भी आरोपित किया जायेगा।
- प्रशिक्षण संस्थान में जिन अधिकारियों को मद्यपान, सिगरेट या तम्बाकू आदि का सेवन करते हुए पाया जायेगा या जिनके पास ऐसी निषिद्ध सामग्री पायी जायेगी उन्हें प्रशिक्षण कार्यक्रम से निष्कासित कर दिया जायेगा। इसके साथ ही सम्बन्धित नियम के तहत अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही भी की जायेगी।
- प्रशिक्षण के दौरान किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- प्रशिक्षण कार्यक्रम की अवधि में अधिकारियों द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों का शत प्रतिशत अनुपालन करना होगा। विपरीत दशा में दोषी अधिकारी को प्रशिक्षण कार्यक्रम से निष्कासित करने पर विचार किया जायेगा।
- प्रशिक्षण में प्रतिभाग न करने वाले अधिकारियों के सम्बन्ध में मुख्यालय के आदेश सं० 4905 दि० 15.03.2018 के प्रस्तर 'ग' के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
यह आदेश आयुक्त, राज्य कर, उ०प्र० के अनुमोदनोपरान्त जारी किया जा रहा है।

Digitally signed by
DHANANJAY SHUKLA
(धनंजय शुक्ला)
Date: 08-09-2023
15:26:33
अनुमोदित, राज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. उप सचिव, राज्य कर अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. अपर निदेशक राज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, गोमती नगर, लखनऊ।
3. सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी / जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. सम्बन्धित जोनल अपर आयुक्त राज्य कर उ०प्र० को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि अपने जोन में तैनात अधिकारी को अपने स्तर से भी नामित करने का कष्ट करें।
5. ज्याइन्ट कमिश्नर (आई०टी०) राज्य कर, मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।
6. संबन्धित आहरण वितरण अधिकारियों को सूचनार्थ।
7. कम्प्यूटर ऑपरेटर (स्थापना राजपत्रित अनुभाग) राज्य कर, मुख्यालय को इस निर्देश के साथ कि EIMS MODULE पर उक्त आदेश प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।

(जैस्मिन)

संयुक्त आयुक्त(स्थापना)
राज्य कर मुख्यालय,
लखनऊ।